न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी : हरिश मेनारिया, आर.जे.एस.
(अतिरिक्त कार्यभार)

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या : 154/2018
सीएनआर नम्बर : RJDG090002152018

राजस्थान राज्य --अभियोगी

बनाम

रमेशचन्द्र पिता हांजा, निवासी सेरावाड़ा, पुलिस थाना धम्बोला, जिला डूंगरपुर (राज.)
-- अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.द.सं.

उपस्थित-

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह चौहान, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 11-03-2026

1. इस प्रकरण का उद्भव सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना धम्बोला की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में ''भा.द.सं.'') में अभियोग-पत्र दिनांक 30-04-2018 को प्रस्तुत किये जाने पर हुआ।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी गटुलाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दिनांक 07-04-2018 को पुलिस थाना, धम्बोला के समक्ष इस आशय की पेश की कि वह तथा उसके परिवार के लोग मनोज पिता भंवरलाल के लगन जेलाने झौथरी गये थे] तब उसका भतीजा मनोज घर पर ही था कि उसे हरिश पिता शंकरलाल ने उसके भतीजे मनोज की दुर्घटना होने की सूचना दी और बताया कि मनोज मोटरसाईकिल नं. आरजे 12 एसक्यू 7147 को लेकर करावाड़ा की तरफ जा रहा था, तब नानोड़ा बस स्टेण्ड पर करीब 12.30 पीएम पर करावाड़ा की तरफ से एक ट्रोला नं. आरजे 27 जीसी 8107 का चालक ट्रोले को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ आया व उसके भतीजे, जो सही साईड में चल रहा था, को टक्कर मारी, जिससे उसके भतीजे की तुरन्त मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसकी लाश सीमलवाड़ा मोर्चरी में पड़ी है। ट्रोला चालक द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक्सीडेन्ट करने से उसके सिर पर गम्भीर चोट आने से मृत्यु हुई है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना धम्बोला पर अभियोग संख्या 126/2018 अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

11/3/26
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा
जिला डूँगरपुर (राज.)

3. अनुसंधानोपरान्त अभियुक्त रमेशचन्द्र के विरूद्ध अभियोग-पत्र अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.द.सं. में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित दाण्डिक किया गया। अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.द.सं. का अभियोग सार पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने उक्त अपराधों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 1 गट्टुलाल, पी.डब्ल्यु. 2 हरीश, पी.डब्ल्यु. 1 राकेश कुमार, पुनः पी.डब्ल्यु. 3 हुरमा, पी.डब्ल्यु. 4 श्रवण, पी.डब्ल्यु. 5 मोहनसिंह, पी.डब्ल्यु. 6 खेताराम, पी.डब्ल्यु. 7 समुद्रसिंह, पी.डब्ल्यु. 8 देवीलाल, पी.डब्ल्यु. 9 कावा, पी.डब्ल्यु. 10 भंवरलाल एवं पी.डब्ल्यु. 11 शंकरसिंह को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, पंचनामा लाश प्रदर्श पी-2, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-3, नक्शा मौका प्रदर्श पी-4, फर्द डिटेन मोटरसाईकिल प्रदर्श पी-5, पुलिस बयान हरीश प्रदर्श पी-6, पुलिस बयान राकेश कुमार प्रदर्श पी-7, पुलिस बयान हुरमा प्रदर्श पी-8, पुलिस बयान श्रवण प्रदर्श पी-9, एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी-10, नोटिस धारा 133 एम.वी.एक्ट प्रदर्श पी-11, फर्द पेशकसी कागजात प्रदर्श पी-12, फर्द जब्ती ट्रक प्रदर्श पी-13, पुलिस बयान कावा पुनः प्रदर्श पी-13, पुलिस बयान भंवरलाल प्रदर्श पी-14, चॉक एफआईआर प्रदर्श पी-15, एमओ तहरीर प्रदर्श पी-16, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-17, नोटिस धारा 134 एम.वी.एक्ट प्रदर्श पी-18, एमटीओ रिपोर्ट बाबत तहरीर प्रदर्श पी-19 तथा वाहनों व मृतक के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-20 से पी-30 को प्रदर्शित करवाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में पी.डब्ल्यु. 3 के रूप में सहवन से दो साक्षीगण को संख्यांकित कर दिया गया है।

5. अभियुक्त के विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत् किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्षीगण के कथनों का गलत होना बताते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया है। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि *''क्या अभियुक्त रमेशचन्द्र ने दिनांक 07-04-2018 को दोपहर करीब 12.30 बजे मौजा नानोड़ा बस स्टेण्ड पर ट्रक नं. आरजे 27 जीसी 8107 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापित किया तथा इस प्रकार वाहन चलाकर मोटरसाईकिल नं. आरजे 12 एसक्यू 7147 को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उक्त वाहन पर सवार मनोज को कारित चोटों से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो उचित दण्ड होगा?''*

7. उक्त अवधार्य प्रश्न को सकारात्मक रूप से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 साक्षीगण

11/3/26
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा
जिला डूँगरपुर (राज.)

को परीक्षित कराया गया है। इन साक्षीगण में प्रार्थी पी.डब्ल्यु. 1 गट्टुलाल, चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 2 हरिश, पी.डब्ल्यु. 3 हुरमा, पुनः पी.डब्ल्यु. 3 राकेश, पी.डब्ल्यु. 4 श्रवण कुमार, पी.डब्ल्यु. 9 कावा व पी.डब्ल्यु. 10 भंवरलाल तात्विक साक्षीगण है। शेष साक्षीगण में वाहन जब्ती के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 7 समुन्दरसिंह व पी.डब्ल्यु. 8 देवीलाल, वाहन स्वामी पी.डब्ल्यु. 6 खेताराम, मैकेनिकल मुआयनाकर्ता पी.डब्ल्यु. 5 मोहनसिंह एवं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 11 शंकरसिंह है।

8. प्रकरण में परीक्षित कराये गये उक्त तात्विक साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन करे, तो पी.डब्ल्यु. 1 गट्टुलाल ने उसकी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि उसके भतीजे मनोज की मृत्यु करीब 4 वर्ष पूर्व नानोड़ा गांव में सीमलवाड़ा कराड़ा रोड़ पर हुई थी। सूचना पर वह मौके पर गया था। मनोज की लाश को सीमलवाड़ा अस्पताल में रखी थी। एक्सीडेण्ट ट्रक से हुआ था, लेकिन नम्बर उसकी जानकारी में नहीं है। किसकी लापरवाही से एक्सीडेण्ट हुआ, उसे पता नहीं है। पक्षद्रोही घोषित होने के उपरान्त अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इन सुझावों को सही होना बताया कि उसने कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दी थी, मनोज की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी-2 उसके सामने बनाया था व बाद पीएम उसकी लाश को जरिये फर्द सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी-3 के सुपुर्द किया था, नक्शा मौका प्रदर्श पी-4 उसके सामने पुलिस ने बनाया था, पुलिस ने मनोज की मोटरसाइकिल नम्बर आरजे 12 एसक्यू 7147 को जरिये फर्द प्रदर्श पी-5 जब्त किया था, दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के नम्बर आरजे 12 जीसी 8107 होना उसने पुलिस को बताया तथा रिपोर्ट में उसने उक्त ट्रक के बारे में लिखवाया था। यह भी स्वीकार किया कि ट्रक चालक द्वारा ट्रक को तेज गति लापरवाहीपूर्वक टक्कर मारने से हुई थी। अभियुक्त पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में कहा कि सूचना मिलने पर वह अस्पताल गया था। सभी फर्दों पर उसके हस्ताक्षर हॉस्पीटल में करवाये थे। एक्सीडेण्ट होते हुए उसने नहीं देखा। वाहन नम्बर उसे पुलिस ने बताये थे। एक्सीडेण्ट किसकी लापरवाही से हुआ, उसे नहीं पता ।

9. उक्त प्रार्थी के अतिरिक्त चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 2 हरिश ने उसकी मुख्य परीक्षा में बताया है कि दिनांक 07-04-2018 को दोपहर करीब 12.30 बजे मनोज की मोटरसाईकिल का एक ट्रक से एक्सीडेण्ट हो गया था। एक्सीडेण्ट कैसे व किस साधन से हुआ था, उसे पता नहीं है। यह साक्षी भी पक्षद्राही घोषित किया जायेगा अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इन सुझावों को गलत होना बताया है कि वक्त घटना मौके पर हो और उसने एक्सीडेण्ट देखा हो, टक्कर मारने वाले वाहन के नं. आरजे 27 जीएसी 8107 होना पुलिस को बताया हो।

10. चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 3 राकेश ने भी उसकी मुख्य परीक्षा यही बताया है कि एक ट्रोला व एक मोटरसाईकिल के बीच एक्सीडेण्ट होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वह एक्सीडेण्ट होने के बाद मौके पर गया। यह साक्षी भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इन सुझावों से इंकार किया कि उसने दिनांक 07-07-2018 को एक्सीडेण्ट देखा हो कि धम्बोला की ओर से मोटरसाईकिल नं. आरजे 12

सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा
जिला चित्तौड़ (राज.)

एसक्यू 7147 के चालक को सामने से आ रहे ट्रोला नं. आरजे 27 जीसी 8107 के चालक ने तेजगति व लापरवाही से चलाकर एक्सीडेण्ट किया हो। उसके पुलिस बयान में उल्लेखित तथ्यों को भी पुलिस को लिखवाने से इंकार किया।

11. चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 3 हुरमा व पी.डब्ल्यु. 4 श्रवण कुमार ने भी उनकी मुख्य परीक्षा में मनोज का एक ट्रोले से एक्सीडेण्ट होना बताते हुए कहा है कि एक्सीडेण्ट कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, उनकी जानकारी में नहीं है। उक्त साक्षीगण भी पक्षद्रोही घोषित हुए है। अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में भी जब्तशुदा ट्रोले से मनोज की मोटरसाईकिल को टक्कर मारने को सुझाव को गलत होना बताया तथा उनके पुलिस बयानों में उल्लेखित तथ्यों को भी पुलिस को लिखवाने से इंकार किया।

12. चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 9 कावा व पी.डब्ल्यु. 10 भंवरलाल ने भी उनकी मुख्य परीक्षा में बताया है कि मनोज का एक्सीडेण्ट होने की सूचना मिलने पर वे हॉस्पीटल गये थे। एक्सीडेण्ट कैसे हुआ व किस वाहन से हुआ, उनकी जानकारी में नहीं है। उक्त दोनों साक्षीगण भी पक्षद्रोही घोषित किये गये है, परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में भी ट्रोला नं. आरजे 27 जीसी 8107 के चालक रमेश द्वारा ट्रोला तेजगति व लापरवाही से चलाकर मनोज को टक्कर मारने का तथ्य उनकी जानकारी में नहीं होना बताया तथा उनके पुलिस बयानों में उल्लेखित तथ्यों को भी पुलिस को लिखवाने से इंकार किया।

13. इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित करवाये गये उक्त साक्षीगण की साक्ष्य की विवेचना करे, तो प्रार्थी पी.डब्ल्यु. 1 गट्टुलाल सहित चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 2 हरिश, पी.डब्ल्यु. 3 हुरमा, पुनः पी.डब्ल्यु. 3 राकेश, पी.डब्ल्यु. 4 श्रवण कुमार, पी.डब्ल्यु. 9 कावा एवं पी.डब्ल्यु. 10 भंवरलाल में से किसी भी साक्षी की साक्ष्य यह तथ्य स्थापित नहीं करती है कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन से मृतक की मोटरसाईकिल को टक्कर मारी गई और न ही ऐसी कोई साक्ष्य आयी है कि दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को अभियुक्त चला रहा हो।

14. तथापि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की पहचान के अनुक्रम में परीक्षित करवाये गये फर्द जब्ती वाहन के साक्षीगण की साक्ष्य पी.डब्ल्यु. 7 समुद्रसिंह व पी.डब्ल्यु. 8 देवीलाल की साक्ष्य को देखे, तो पी.डब्ल्यु. 7 समुन्द्रसिंह ने उसकी मुख्य परीक्षा में वाहन नं. आरजे 27 जीसी 8107 को जरिये फर्द प्रदर्श पी-13 उसके सामने जब्त किया जाना बताया है, जबकि पी.डब्ल्यु. 8 देवीलाल ने उसकी सशपथ साक्ष्य में बताया है कि उक्त वाहन को जरिये फर्द प्रदर्श पी-9 से उसके सामने जब्त किया जाना बताता है। इस प्रकार उक्त दोनों ही साक्षीगण भिन्न भिन्न फर्दो से एक ही वाहन को जब्त किया जाना बताते है। इसके अलावा जब्तशुदा वाहन का नम्बर पी.डब्ल्यु. 7 समुन्द्रसिंह आरजे 27 जीसी 8107 होना बताता है, जबकि पी.डब्ल्यु. 8 देवीलाल जब्तशुदा वाहन का नम्बर आरजे 12 जीसी 1107 होना बताता है। इस प्रकार वाहन जब्ती के उक्त साक्षीगण की साक्ष्य में भी तात्विक विरोधाभास दर्शित होता है।

11/3/26
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

15. मैकेनिकल मुआयनाकर्ता पी.डब्ल्यु. 5 मोहनसिंह ने उसकी सशपथ साक्ष्य में प्रकरण में जब्तशुदा ट्रोला नं. आरजे 27 जीसी 8107 के आगे बम्पर पर रगड़ के ताजा निशान होना बताया है। इसके अलावा अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 11 शंकरसिंह ने उसकी साक्ष्य में उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान की गयी कार्यवाहियों की सम्पुष्टि करते हुए प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि टर्बो ट्रक के पीछे वाले टायर में मोटरसाईकिल वाला घुस गया था। यह भी स्वीकार किया कि टर्बो ट्रक की लम्बाई ज्यादा होती है। यह भी स्वीकार किया कि वक्त घटना ट्रक चालक मौके से भाग गया था।

16. इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित करवाये गये उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य सन्देह से परे स्थापित नहीं होता है कि प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक नं. आरजे 27 जीसी 8107 से ही दुर्घटना हुई हो, तथापि यदि मैकेनिकल मुआयनाकर्ता पी.डब्ल्यु. 5 मोहनसिंह एवं वाहन जब्ती के साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य साबित मान भी लिया जाये कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन से ही दुर्घटना हुई थी, तब भी दुर्घटना के समय अभियुक्त ही उक्त जब्तशुदा वाहन का चालक हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आयी है। अनुसंधान अधिकारी ने गवाहों के बयानों एवं वाहन स्वामी द्वारा धारा 133 एम.वी.एक्ट के नोटिस पर दिये गये जवाब के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना बताया है, परन्तु प्रकरण में परीक्षित साक्षीगण उनकी सशपथ साक्ष्य में अनुसंधान अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान की सम्पुष्टि नहीं करते है।

17. इसके अलावा चालक की पहचान की सम्पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष ने वाहन स्वामी पी.डब्ल्यु. 6 खेताराम को भी परीक्षित करवाया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में बताया है कि उसने उसका वाहन नं. आरजे 27 जीसी 8107 को दिनांक 07-04-2018 को चलाने के लिये रमेशचन्द्र को दी थी। इस सम्बन्ध में पुलिस ने उसे नोटिस धारा 133 एम.वी.एक्ट प्रदर्श पी-11 दिया था, जिस पर उसका जवाब व हस्ताक्षर है। परन्तु यह साक्षी उसकी प्रतिपरीक्षा में कहता है कि वक्त घटना ड्राईवर कौन था, उसकी जानकारी में नहीं है। उसके बहुत सारे वाहन है, जिनके संचालन सम्बन्धी कार्य उसके मैनेजर देखते है। प्रदर्श पी-11 नोटिस पर जवाब उसके द्वारा नहीं लिखा गया, किसने लिखाव क्या लिखा, उसकी जानकारी में नहीं है, पुलिस ने केवल हस्ताक्षर करवाये थे। इस प्रकार वाहन स्वामी भी उसकी प्रतिपरीक्षा में अस्थिर हो जाता है एवं नोटिस पर उल्लेखित जवाब उसका नहीं होना, उसे वाहन चालक के बारे में जानकारी नहीं होना आदि तथ्य बताता है। इस प्रकार वाहन स्वामी की साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष को कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं करती है।

18. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उपेक्षा या उतावलेपन के सम्बन्ध में भी अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 11 शंकरसिंह की साक्ष्य को देखे, तो उसकी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि टर्बो ट्रक के पीछे वाले टायर में मोटरसाईकिल वाला घुस गया था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गयी उक्त स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट होता है कि उपेक्षापूर्वक मोटरसाईकिल चालक ही जब्तशुदा वाहन के पीछे वाले टायर में घूसा था, ऐसी स्थिति में ट्रक चालक की कोई उपेक्षा या उतावलापना होना भी दर्शित नहीं होता है।

11/3/26

19. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की उक्तानुसार विवेचना से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त रमेशचन्द्र को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.द.सं. से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

20. परिणामतः अभियुक्त रमेशचन्द्र पिता हांजा, निवासी सेरावाड़ा, पुलिस थाना धम्बोला, जिला डूंगरपुर (राज.) को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलका निरस्त किये जाते हैं।

21. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिया हुआ है, जो सुपुर्दगीदार के पास रहे तथा उसके सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा अपील की परिसीमा के अवसान के पश्चात् अपील नहीं होने की सुरत में स्वतः निरस्त समझे जावे।

(हरिश मेनारिया) 11/3/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
(अतिरिक्त कार्यभार)

22. निर्णय आज दिनांक 11-03-2026 को लिखाया व हस्ताक्षरित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिश मेनारिया) 11/3/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
(अतिरिक्त कार्यभार)

RAMANALAL

sehrishtedar grade-II "I attest to the accuracy and authenticity of document"
Digitally signed by RAMANALAL
Location: JM COURT SIMALWARA
Date: 2026.04.01 14:04:53 +0530